भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं.2019/सिक.(स्पे.)/200/9 नई दिल्ली,दिनांक: 30.08.2019

रेल सुरक्षा बल नियमावली, 1957 की धारा 8 के साथ पठित रेल सुरक्षा बल नियमावली, 1987 के नियम 28 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं :-

निदेश-54

विषय: सोशल मीडिया का उपयोग – आरपीएफ कार्मिकों के लिए दिशा-निर्देश।

1. **भूमिका:**

1.1 आरपीएफ के लिए सोशल मीडिया फ्रेमवर्क और दिशानिर्देशों का उद्देश्य आरपीएफ कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना है, लेकिन इसके उपयोग के लिए उन्हें प्रतिबंधित करना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि बल के सभी सदस्यों की आधिकारिक क्षमता के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत क्षमता में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए व्यापक दिशानिर्देश को परिभाषित किया जाए और उन्हें सीमाओं के बारे में जागरूक किया जाए।

1.2 सोशल मीडिया का उपयोग रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोशल मीडिया, जो एक प्रणेता और आदाता के रूप में भी सुविधा प्रदान करता है और व्यक्तियों को जोड़ने के लिए बेहतर मंच प्रदान करता है। सोशल मीडिया की आधिकारिक उपयोगिता की निगरानी करने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य के लिए नियम तय करना आवश्यक है। सोशल मीडिया का उचित ढंग और जिम्मेदारी से उपयोग आरपीएफ को जनता के बहुत करीब लाएगा और उन्हें बेहतर सेवा देने में सहायक होगा, परन्तु यह केवल तभी संभव है जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एकसमान नियमों का पालन किया जाए।

1.3 आधिकारिक कार्यों में सोशल मीडिया की उपयोगिता से संबंधित नियम तैयार करते समय निम्नलिखित पर विचार करने आवश्यकता है:

(i) आधिकारिक परिदृश्य में सोशल मीडिया की आवश्यकता।
(ii) आधिकारिक बातचीत के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयुक्त है।
(iii) सोशल मीडिया में अधिकारियों की उपयोगिता और नियुक्तियों को शासित करने के लिए नियम।
(iv) बातचीत के लिए दिशानिर्देश बनाना।

2. **सोशल मीडिया के आधिकारिक उपयोग के लिए दिशानिर्देश:**

(i) आधिकारिक उद्देश्यों के लिए सोशल मीडिया हैंडल और अकाउंट का उपयोग आधिकारिक हैंडल के माध्यम से केवल आरपीएफ के एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए।

(ii) प्रोफाइल फोटो के रूप में केवल आधिकारिक लोगो का उपयोग किया जाना चाहिए, इस पर किसी अधिकारी की व्यक्तिगत फोटो नहीं होनी चाहिए।

(iii) सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पूरी तरह से तथ्यात्मक होनी चाहिए और सूचना के प्रसार के दौरान कोई राय या व्यक्तिपरक जवाब नहीं दिया जाना चाहिए।

(iv) आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर परिवार के सदस्यों की तस्वीरें, राजनीतिक विचार/ राजनीतिक उद्धरण/राजनीतिक दृष्टिकोण/धार्मिक विचार/तस्वीरें आदि पोस्ट करना निषिद्ध है।

(v) आधिकारिक अकाउंट की जानकारी केवल कुछ नामित अधिकारियों/कर्मचारियों के पास होनी चाहिए और नियंत्रण कक्ष/कर्मचारियों की जानकारी में नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी के द्वारा इसका दुरुपयोग करना आसान होगा।

(vi) सभी मंडल और मुख्यालय स्तर पर एक सोशल मीडिया रजिस्टर बनाए रखा जाना चाहिए, जहां उस शिफ्ट/विशेष ड्यूटी घंटों के दौरान में अकाउंट के साथ काम करने वाले नामित व्यक्ति को प्राप्त शिकायतों की संख्या को निपटाया जाना चाहिए और जवाब दिया जाना चाहिए तथा उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे अगले नामित व्यक्ति को सौंप देना चाहिए।

(vii) आधिकारिक खाते को संभालने वाले व्यक्ति के अकाउंट को नामित किया जाना चाहिए ताकि मंडल और मुख्यालय स्तर पर समुचित और समर्पित प्रशिक्षण दिया जा सके और सोशल मीडिया हैंडल के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के मामले में जवाबदेही तय की जा सके।

(viii) आरपीएफ कर्मियों को सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के बिना वर्गीकृत/गोपनीय/ संवेदनशील/महत्वपूर्ण/किसी भी आधिकारिक संप्रेषण के रूप में मानी जाने वाली किसी भी जानकारी को प्रकाशित, पोस्ट या जारी नहीं करना चाहिए।

(ix) यदि आरपीएफ कर्मी सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिससे टकराव होने की आशंका हो तो उसे विनम्र तरीके से बातचीत करते हुए अलग हो जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में सोशल मीडिया हैंडल पर किसी भी टकराव में शामिल नहीं होना चाहिए।

(x) किसी भी अनौपचारिक संप्रेषण, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक हैंडल पर निर्दिष्ट नहीं है, को इन हैंडल के माध्यम से ऑनलाइन पोस्ट नहीं करना चाहिए।

(xi) सक्षम प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना सीसीटीवी फुटेज को किसी भी सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति/मीडिया/अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

(xii) कर्मचारी चाहे ड्यूटी पर हो या ऑफ ड्यूटी हो, उसे आधिकारिक हैंडल के माध्यम से किसी भी संदेश/सूचना को देश के किसी भी कानून/मानक प्रक्रियाओं/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके प्रसारित नहीं करना चाहिए, जिसे कदाचार माना जाएगा।

(xiii) आधिकारिक अकाउंट का सृजन: आधिकारिक अकाउंट आरपीएफ की पहचान को उस विशेष सोशल मीडिया के डोमेन के साथ ऑनलाइन स्थापित करता है, जिसमें आईडी बनाई गई है। अकाउंट का नाम पदनाम/कार्यालय (आरपीएफ एससीआर, आरपीएफ सिकंदराबाद मंडल, आरपीएफ हैदराबाद मंडल आदि) के समान होना चाहिए और जहां तक संभव हो, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर

नाम एकसमान होना चाहिए, ताकि जनता के लिए आरपीएफ की आधिकारिक आईडी की पहचान करना आसान हो सके।

(xiv) इसका पासवर्ड मजबूत होना चाहिए और दो स्तरीय सुरक्षा और गोपनीयता अनुदेश होने चाहिए।

(xv) जहां तक संभव हो इसका नाम छोटा होना चाहिए और इसमें कोई भी विशेष वर्ण नहीं होना चाहिए।

(xvi) नियंत्रण कक्ष या नियंत्रण कक्ष को संचालित करने वाले अधिकारी के आधिकारिक मोबाइल नंबर को सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक/मैप किया जाना चाहिए। इससे जनता को अकाउंट की वास्तविकता को पहचानने/स्थापित करने में सहायता मिलेगी और सोशल मीडिया में उत्तर/प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न किसी भी शिकायत के मामले में भी संपर्क करने में सहायता मिलेगी।

(xvii) आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट में आरपीएफ सुरक्षा हेल्प लाइन नं.182 प्रदर्शित किया जाएगा।

(xviii) आरपीएफ कार्यालयों के पक्ष में बनाई गई आईडी ठीक से दर्ज की जाए और लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के लिए एक रजिस्टर बनाया जाए। रजिस्टर में लॉगिन और लॉगआउट का रिकॉर्ड रखना होगा और सोशल मीडिया पर आरपीएफ की अंतिम प्रतिक्रिया को अपलोड करने वाले अधिकारी को रजिस्टर में उस टिप्पणी के बारे में एक रिकॉर्ड रखना चाहिए जो उस प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया/उत्तर के बारे में है जिसने प्रतिक्रिया/उत्तर को अनुमोदित किया था।

(xix) आरपीएफ अधिकारियों को सोशल मीडिया पर बनाई गई आधिकारिक आईडी के माध्यम से केवल आधिकारिक पहलुओं पर ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अधिकारियों को अपनी व्यक्तिगत आईडी पर आधिकारिक कार्यों से संबंधित टिप्पणी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ऐसा प्रतीत होगा कि आधिकारिक राय के स्थान पर अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं या इसके विलोमत: की आशंका बनी रहेगी।

(xx) वेबसाइट पर प्रतिक्रिया देने में लगने वाले समय या सूचना को निर्धारित समय पर अद्यतन करने की कार्रवाई त्वरित और निरंतर होनी चाहिए। सोशल मीडिया में तुरंत जवाब/प्रतिक्रिया की अपेक्षा रहती है और अगर प्रतिक्रिया देने में देरी होती है तो लगातार प्रतिकूल टिप्पणियां आने लगती हैं और खराब टिप्पणियों के मामले में आरपीएफ की छवि धूमिल होगी। इसलिए विभिन्न परिदृश्यों के लिए प्रतिक्रियाओं का एक मानक सेट बनाकर रखा जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर को उचित समय में पोस्ट किया गया है।

(xxi) जहां कोई टिप्पणी/तुरंत जवाब देना संभव न हो वहां बेहतर होगा यदि सोशल मीडिया पर 'मामले की जांच की जा रही है/मामले को आगे भेज दिया गया है/मामले की पूछताछ की जा रही है' जैसी प्रतिक्रिया दी जाए। सोशल मीडिया पर कम-से-कम एक उत्तर दिया जाए कि एक या दो दिन में मामले का उत्तर दिया जाएगा या इसका उत्तर शीघ्र ही दिया जाएगा।

(xxii) किसी भी मामले को अगले उच्च स्तर तक भेजने हेतु समुचित तंत्र होना चाहिए, ताकि किसी भी मामले, जिसे निम्नतर स्तर पर हल न किया जा सके, को विभाग के अगले उच्च स्तर पर हल किया जा सके।

(xxiii) यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि संसाधनों और उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। मंडल/क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर भी आंतरिक संसाधन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(xxiv) यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए अलग-अलग कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रयोजनार्थ चिह्नित किए गए आरपीएफ कर्मियों को विशेष रूप से सौंपे गए कार्यों के लिए अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

(XXV) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जवाबदेह टीम की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों तय करने, संचालित करने और जवाब देने के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। टीम को कानूनी निहितार्थों के बारे में भली-भांति पता होना चाहिए। कभी-कभी जहां आरपीएफ की ओर से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, वहां टीम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सोशल मीडिया पर जनता की मांग के अनुसार यथोचित कार्रवाई करने के लिए समस्या को उचित प्राधिकारी को अग्रेषित करना चाहिए। किसी भी गंभीर मुद्दे के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए।

(XXVi) एक ऐसा रजिस्टर बनाकर रखा जाए जिसमें उठाए गए मुद्दों को उचित क्रम संख्या देते हुए मामले के बारे में उल्लेख करते हुए प्रविष्टियाँ की जाएं। उत्तर देने वाले अधिकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उत्तर के लिए जवाबदेह होंगे।

(XXVii) जब कोई भी जानकारी ऑनलाइन साझा की जाती है या मार्गदर्शन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी संगत रिकॉर्ड कैप्चर किए गए हैं, ट्रेल जेनरेट किए गए हैं और रिकॉर्ड का उचित रूप से प्रबंधन किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि रिकॉर्ड कीपिंग और ऐतिहासिक डेटा संबंधी नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

(XXViii) किसी भी आधिकारिक संप्रेषण के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते समय आईटी अधिनियम 2000 (2008 में संशोधित) और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की पोस्टिंग/प्रतिक्रिया करते समय व्यक्तिगत जानकारी, आरटीआई आदि जैसे नियमों और विनियमों को ध्यान में रखना चाहिए।

(XXix) सोशल मीडिया पर आईडी के माध्यम से संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति की निजी सूचना के बारे में किसी अन्य तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाएगा।

(XXX) जनता की पोस्टिंग के जवाब में पोस्ट की गई प्रतिक्रिया स्पष्ट और संगत होनी चाहिए और बहुत विनम्र होनी चाहिए। यदि पोस्टिंग किसी भी प्रकार के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित है, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, इसके बजाय यह जवाब दिया जाना चाहिए कि "यह मामला इस विभाग से संबंधित नहीं है"।

(XXXi) किसी भी आधिकारिक सोशल मीडिया ग्रुप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भाग लेने वाले केवल नामित सदस्यों तक ही सीमित होने चाहिए और ग्रुप में किसी भी निजी सदस्य को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और एडमिन को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रुप का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो।

(XXXii) नेटवर्क पर साझा की गई जानकारी संबंधित सेवा प्रदाताओं के सर्वर में संग्रहीत हो जाती है, इसलिए यह नहीं माना जाना चाहिए कि पोस्ट की गई जानकारी सुरक्षित/संग्रहीत/संरक्षित नहीं की गई है।

3. आरपीएफ कार्मिकों द्वारा सोशल मीडिया के व्यक्तिगत उपयोग के लिए दिशानिर्देश:

एक बल कर्मी, भले ही ड्यूटी पर या छुट्टी पर हो, फोर्स का हिस्सा ही रहता है और इसलिए उसे सोशल मीडिया में निजी अकाउंट के माध्यम से संचालन करते समय भी शिष्टता बनाए रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी क्षमता में सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करते समय किसी भी पोस्ट या बातचीत/टिप्पणी से कानून, आचरण नियमों आदि का उल्लंघन नहीं होता है और निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है:

(i) निजी अकाउंट से सोशल मीडिया का उपयोग करते समय, वर्दी वाली कोई तस्वीर या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हथियारों और गोला-बारूद के साथ कोई तस्वीर, तस्वीर जिसमें सुरक्षा गैजेट/सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के साथ प्रवेश-द्वार, निकास-द्वार, एक्सेस कंट्रोल डिवाइस, सीसीटीवी आदि दृष्टिगोचर हो, कभी पोस्ट नहीं करनी चाहिए।

(ii) निजी क्षमता में सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करते समय, कुछ गोपनीयता सेटिंग्स का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्तिगत जानकारी/स्थान आदि किसी को दिखाई न दे जो उनके सोशल ग्रुप का हिस्सा नहीं है। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट में किसी भी अज्ञात व्यक्ति को जोड़ने से व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से बचा जाना चाहिए।

(iii) निजी क्षमता में सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करते समय, यह कहा जा सकता है कि पोस्ट किए गए विचार व्यक्तिगत हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आधिकारिक संप्रेषण में टैग नहीं किया गया है।

(iv) आरपीएफ कर्मी अपने अकाउंट में सूचनार्थ एक डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि "व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं"।

(v) आरपीएफ कार्मिक को अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट में किसी भी आधिकारिक संदेश/मामलों से संबंधित किसी भी विचार/राय/टिप्पणी करने से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अकाउंट संबंधी जानकारी और विषय-वस्तु पूरी तरह से व्यक्तिगत है।

(vi) आरपीएफ कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यस्थल के समान ही ऑनलाइन व्यावसायिक आचरण/दिशानिर्देशों का पालन करें। वे सोशल मीडिया साइटों और प्लेटफार्मों पर पोस्ट, अगर यह आचार संहिता के विरुद्ध है, के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।

(vii) आरपीएफ कर्मी अपने हैंडल अकाउंट पर किए गए किसी भी पोस्ट के लिए जिम्मेदार होंगे, भले ही ऐसे पोस्ट उनके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य परिचित द्वारा या संबंधित आरपीएफ कर्मियों की जानकारी के बिना किए गए हों।

(viii) सोशल मीडिया पर बातचीत करते समय आरपीएफ कर्मियों को सूचना की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। संवेदनशील सूचनाओं के मामले में भी ऐसा ही है उदाहरण के तौर पर प्रशासन की सहमति के बिना सार्वजनिक मीडिया पर अपने स्तर पर ही रेल दुर्घटनाओं के वीडियो पोस्ट करने से बचना चाहिए।

(ix) ऐसी कोई पोस्ट न बनाई जाए जिससे बल की छवि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हो। मंडल एवं मुख्यालय स्तर पर छानबीन के चैनल बनाए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो कि सोशल मीडिया हैंडल पर कोई गैर-जिम्मेदार पोस्ट न पोस्ट की जाए।

(x) ऐसा कोई पोस्ट न बनाई जाए जिससे बल कर्मियों के बीच दुराव पैदा होने की संभावना हो या जिससे अनुशासनहीनता या कदाचार की घटनाएं हों। ऐसी कोई पोस्ट नहीं भेजनी चाहिए जो बल कर्मियों के द्वारा उच्चतर रैंक का अपमान या अवज्ञा को दर्शाती हो।

(xi) कभी-कभी सोशल मीडिया नेटवर्क, ब्लॉग और अन्य प्रकार की ऑनलाइन सामग्री प्रेस और मीडिया का ध्यान आकृष्ट करती है या इनसे कानूनी शंकाएं पैदा हो जाती हैं। आरपीएफ कर्मियों को किसी भी टिप्पणी को पोस्ट करने से पहले इनकी जानकारी होनी चाहिए।

(xii) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी अकाउंट से सामाजिक मीडिया का उपयोग करते समय आधिकारिक जानकारी/सूचना/डेटा/सामग्री/नीति, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, को किसी अन्य

अप्राधिकृत व्यक्ति के साथ साझा न किया जाए, और यदि साझा किया गया है तो इसे कदाचार माना जाएगा।

(xiii) निजी सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक/सांप्रदायिक/सरकार विरोधी विचार साझा न किए जाएं, जिन्हें आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही अन्य किसी प्रकार के राजनीतिक मामलों तथा अन्य विषयों को भी पोस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे समुदायों में दुर्भावना पैदा हो या सरकार के लिए चिंताजनक हो।

(xiv) आरपीएफ कर्मियों को ऐसे पेज और अकाउंट का अनुसरण करने से बचना चाहिए जो व्यक्ति या संगठन की खराब छवि प्रदर्शित कर सकते हैं और विवाद पैदा कर सकते हैं। ऐसे किसी पेज का अनुसरण नहीं करना चाहिए जिसमें देशद्रोही विषय-वस्तु हो या देश विरोधी प्रचार सामग्री हो। इस तरह की सामग्री या प्रचार वाली कोई पोस्ट नहीं बनाई जानी चाहिए, लिंक नहीं करनी चाहिए या साझा भी नहीं करना चाहिए।

(xv) निजी सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक लोकेशनों पर रियल टाइम चेक-इन से बचना चाहिए क्योंकि इससे बल कर्मियों को खतरा हो सकता है और शरारती तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

(xvi) प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करते समय किसी भी सशस्त्र बल कर्मियों की सैन्य मूवमेंट, उनके वास्तविक समय की गतिविधियों, आरबीआई या किसी भी नकद गतिविधि या सुरक्षा कर्मियों की पोस्ट/साझा नहीं करनी चाहिए।

(xvii) प्राइवेट सोशल मीडिया अकाउंट को आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी तरह से आधिकारिक फोन नंबर/आधिकारिक ई-मेल आईडी से लिंक नहीं करना चाहिए, ताकि हैकिंग न हो सके।

(xviii) आरपीएफ कर्मियों के व्यक्तिगत अकाउंट में निजी सोशल मीडिया वेबसाइट पर किसी भी आधिकारिक चिह्न (लोगो) या किसी भी अन्य चित्र या आइकनोग्राफी का उपयोग नहीं करना चाहिए।

(xix) आरपीएफ कर्मियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेवा शर्तों से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतें नहीं उठानी चाहिए।

(xx) सरकार और आरपीएफ प्रशासन की सरकारी प्रशासन और नीतियों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

(xxi) आरपीएफ कर्मियों को अभियोगाधीन किसी भी मामले के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी आलोचनात्मक बयान नहीं देना चाहिए।

(xxii) उन्हें कर्तव्य और मूवमेंट के स्थान का खुलासा नहीं करना चाहिए।

(xxiii) उन्हें भारत/राज्य सरकार के विरुद्ध बल से संबंधित नीति अभियानों में ऑनलाइन भागीदारी में भाग नहीं लेना चाहिए।

(xxiv) उन्हें किसी भी धार्मिक समूह के सोशल मीडिया ग्रुप का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

(xxv) उन्हें हथियारों और इनके परिचालनिक उपयोग के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहिए।

(xxvi) उन्हें विदेशों के रीति-रिवाजों और लोगों के शिष्टाचार, स्थलाकृति, आर्थिक स्थिति आदि पर लेख नहीं लिखने चाहिए अथवा ऐसा कोई पोस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।

(xxvii) आरपीएफ कर्मी द्वारा अनाम अकाउंट बनाने और ड्यूटी पर या ड्यूटी के बाद भी आरपीएफ अधिकारियों के विरुद्ध विषय-सामग्री पोस्ट करना/साझा करना, कार्य स्थानों में व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करना और आधिकारिक सिस्टम में अश्लील/आपत्तिजनक वेबसाइट

देखना और अश्लील तस्वीरें एवं वीडियो पोस्ट करना आरपीएफ नियमों के उल्लंघन में कदाचार माना जाएगा।

(XXviii)उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी पोस्ट को फॉरवर्ड/शेयर नहीं करना चाहिए जो अविश्वसनीय/अफवाह फैलाने वाली हों या जिससे समुदायों/सोशल ग्रुप के बीच घृणा को उकसाने की संभावना हो।

(XXiX) सोशल मीडिया का उपयोग करते समय आरपीएफ के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान नहीं होना चाहिए। कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम/उपकरण आदि का व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

(XXX) एसआईबी फील्ड इकाइयों को अपने खुफिया नेटवर्क में आरपीएफ कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत हैंडल की उपयोगिता को कवर करना चाहिए और दिशानिर्देशों, आरपीएफ नियमों, आईटी अधिनियम के प्रावधानों आदि के उल्लंघन के मामले में मंडल/जोन के सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए।

(XXXi) बल का कोई भी सदस्य किसी भी ऐसे वीडियो को पोस्ट या फॉरवर्ड या टिप्पणी नहीं करेगा, जो बच्चों और महिलाओं/यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों की हिंसा/दुरुपयोग को प्रदर्शित करते हों।

(XXXii) आरपीएफ कर्मियों को अपने परिवार के सदस्यों को सोशल मीडिया के उचित उपयोग के बारे में बताना चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्यों को अपने ऑपरेशन संबंधी गतिविधियों का खुलासा न करने/बल कर्मियों के सोशल मीडिया पर सामरिक/संवेदनशील स्थान के डेटा आदि के साथ अपने वीडियो या फ़ोटो साझा न करने के बारे में सावधान कर देना चाहिए।

(XXXiii)अंत में, सोशल मीडिया दिशानिर्देशों को अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दिशानिर्देशों के समान बुनियादी आरपीएफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

सभी आरपीएफ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

(Sd-)

(अरुण कुमार)
महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल

प्रतिलिपि प्रेषित:

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ, सभी जोनल रेलें, आईसीएफ, केआरसीएल, कोर, निर्माण, आरडीएसओ और आरपीएसएफ।

निदेशक,
जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ और आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, मौला-अली।